संविधान दिवस (26 नवम्बर, 2022)

ख्या-6/2022/714 /90-सं-2-2022

प्रेषक,

जे०पी० सिंह-।।
प्रमुख सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1-समस्त मण्डलायुक्त/समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।
2-निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

संसदीय कार्य अनुभाग-2 **लखनऊ :दिनांक 16 नवम्बर, 2022**

विषय: संविधान दिवस 26 नवम्बर, 2022 के अवसर पर प्रदेश में विविध कार्यक्रम आयोजित किए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सचिव, संसदीय कार्य मंत्रालय,भारत सरकार के अर्द्धशासकीय पत्र संख्या-15/17/2022-एडमि. दिनांक 09 नवम्बर, 2022 (छायाप्रति मय संलग्न) का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें यह उल्लेख किया गया है कि संविधान निर्माताओं के योगदान को सम्मान देने के लिए संविधान दिवस के अवसर पर प्रत्येक वर्ष 26 नवम्बर को जन भागीदारी के रूप में मनाया जाता है। इस वर्ष संविधान दिवस 26 नवम्बर को'भारत-लोकतंत्र की जननी'विषय पर मनाया जायेगा।

2- अवगत कराना है कि संविधान दिवस को एक राष्ट्रीय समारोह के रूप में मनाया जाना है, जिसमे समस्त की सहभागिता अपेक्षित है। दिनांक 26 नवम्बर, 2022 को संविधान दिवस के अवसर पर राज्य सरकार के कार्यालयों, स्कूलों/कालेजों/संस्थानों/स्वायत्तशासी निकायों/सार्वजनिक उद्यमों आदि में संविधान की प्रस्तावना का पाठन सामूहिक रूप में किया जायेगा।

3- सचिव, संसदीय कार्य मंत्रालय,भारत सरकार के संदर्भगत पत्र दिनांक 09 नवम्बर, 2022 द्वारा यह अवगत कराया गया है कि भारत सरकार द्वारा संविधान दिवस कार्यक्रम के संबंध में 02 वेव-पोर्टल विकसित किये गये है जिस पर प्रत्येक व्यक्ति भागीदारी कर सकता है तथा कोई भी व्यक्ति सम्बन्धित पोर्टल(readpreamble.nic.in) पर संविधान की प्रस्तावना का ऑनलाइन पाठन कर सकता है। **भारत-लोकतंत्र की जननी** विषय से संबंधित पोर्टल(constitutionquiz.nic.in) पर कोई भी व्यक्ति ऑनलाइन क्विज में प्रतिभाग करके प्रतिभागिता से संबंधित प्रमाणपत्र भी प्राप्त कर सकता है।

4- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उक्त दोनो पोर्टल पर समस्त अधिकारी/कर्मचारी एवं अन्य संस्थानों के कार्मिकों एवं उनके परिवारीजन/मित्रों द्वारा अधिक से अधिक संख्या में प्रतिभाग किया जाना सुनिश्चित करते हुए संविधान दिवस के समारोह को अधिकतम उत्साह एवं सफलता के साथ मनाया जाना सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,
जे०पी० सिंह-।।
प्रमुख सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या-6/2022/714(1)/90-सं-2-2022 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. सचिव, संसदीय कार्य मंत्रालय,भारत सरकार के पत्र दिनांक 09 नवम्बर, 2022 के सन्दर्भ में।
2. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी।
3. निजी सचिव, मा0 संसदीय कार्य मंत्री, उत्तर प्रदेश।
4. मुख्य स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
5. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, सचिवालय प्रशासन विभाग, उ0प्र0 शासन (नोडल विभाग)।
6. निदेशक सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
7. गार्ड बुक।

आज्ञा से,

ज्ञान प्रकाश ।।।
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।